पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 13, अंक 2/2012

...✍ जनता का जनता के लिए....

आजादी के बाद हमने देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन-अर्थात जिसमें जनता की संप्रभुता हो। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है और जनता की प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य होता है।

लोकतंत्र में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए मजबूत प्रशासन तंत्र की जरूरत होती है। देश में आजादी के बाद शुरू के चार दशकों तक के प्रशासन को काफी अच्छा माना जाता है। तब शासकों और प्रशासन तंत्र में जनता के प्रति नैतिक और मानवीय भावना हुआ करती थी। लेकिन धीरे-धीरे उसमें कमी आने लगी। राजनीतिक स्वार्थ, भ्रष्टाचार, अनैतिकता जैसी कई बुराईयां समाती चली गई। नतीजतन, शीर्ष राजनेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों से भ्रष्ट आचरण की शुरुआत होते हुए आज निचले स्तर तक भ्रष्टाचार के कुनबे का विस्तार हो गया।

शासन-प्रशासन में आयी मूल्यों की गिरावट से सबसे ज्यादा प्रभावित आम व्यक्ति होता है। गरीबों को दी जाने वाली सुविधाएं जैसे सस्ता अनाज, पोषाहार, सब्सिडी, रोजगार आदि सही समय व पूरी मात्रा में उन तक नहीं पहुंच पाते। गरीबों के लिए एक वरदान के रूप में मानी गई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ऐसी विफलताओं के कारण ही अपनी चमक खोने लगी है।

मजदूरी में फर्जी भुगतान, फर्जी मस्टरोल, फर्जी जॉबकार्ड, फर्जी खरीद और फर्जी बैंक खाते। क्या नहीं हो रहा? योजना में पंचायत स्तर तक हुए करोड़ों रुपए की अनियमिताएं व भ्रष्टाचार आमजन को अखर रहे हैं। जनता कब तक बर्दास्त करेगी? उसके हाथ में है सूचना का अधिकार रूपी हथियार! यही हाल रहा तो मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ धरातल स्तर पर जन आन्दोलन खड़ा होते देर नहीं लगेगी।

इस अंक में...

- सांसद निधि का दुरुपयोग 3
- काली कमाई होगी जब्त 5
- जनता की नहीं सुनी तो देना होगा जुर्माना 7
- ऊर्जा अंकेक्षण कराना अनिवार्य होगा 8
- मेट्रो बनेगी पानी सहेजने की मिसाल 9

पंचायतों में सार्वजनिक रिकार्ड एवं सूचनाओं के रखरखाव में सुधार आवश्यक

प्रदेश की पंचायतों में रिकॉर्ड व सूचनाओं के रखरखाव की स्थिति ठीक नहीं है। राज्य सरकार को इसके लिए जल्द ही कोई पॉलिसी व मार्गदर्शिका बनानी चाहिए, ताकि सूचनाओं का संघारण सही प्रकार से किया जा सके।

यह विचार राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त टी.श्रीनिवासन ने कट्स द्वारा पार्टनरशिप फॉर ट्रांसपरेन्सी फण्ड के सहयोग से 15 मई को जयपुर में आयोजित मनरेगा में जन भागीदारी व सूचना के अधिकार के प्रभावी उपयोग विषयक कार्यशाला में व्यक्त किए। उन्होंने अपने उद्बोधन में सूचना के अधिकार के प्रभावी उपयोग और क्रियान्वयन पर प्रकाश डालते हुए सूचनाओं के स्वतः प्रकाशन की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यशाला में आर.सी.गुप्ता, अतिरिक्त जिला समन्वयक (मनरेगा), जयपुर ने कहा कि मनरेगा एक अनूठी योजना है। इतनी बड़ी योजना में खामियां हो सकती है, जिसे आमजन की भागीदारी, पंचायतों की प्रभावी भूमिका और मनरेगा के मानव संसाधनों के कौशलवर्धन से दुरुस्त किया जा रहा है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री के सलाहकार व यूनीसेफ के कन्सलटेन्ट पी.आर. शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायतों की इच्छा शक्ति के अभाव में मनरेगा अपनी चमक खोता जा रहा है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए पंचायतों को अधिक मेहनत करनी होगी।

कार्यशाला के प्रारंभ में मधुसूदन शर्मा, परियोजना समन्वयक कट्स ने कार्यशाला के उद्देश्यों सिटिजन्सअप परियोजना के लक्ष्यों, जन प्रतिनिधियों, पंचायतों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रभावी व सक्रिय भूमिका के बारे में जानकारी दी। ओम प्रकाश आर्य, वरिष्ठ परियोजना समन्वयक कट्स ने मनरेगा के प्रावधानों के प्रति आमजन में जागरूकता के अभाव को प्रमुखता से रखा और बताया कि जानकारी का अभाव बहुत सी समस्याओं को जन्म देता है।

उन्होंने बताया कि सिटिजन्सअप परियोजना के माध्यम से लोगों को सभी तरह की जानकारी देकर उनकी जागरूकता को बढ़ाया जाएगा। आरती पाण्डे तिवारी, परियोजना अधिकारी कट्स ने सभी आगन्तुकों का स्वागत किया तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला में सरपंचों, ग्राम सेवकों, मीडिया एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

स्वयं सहायता समूह सम्मेलन

ग्रामीण विकास का आधार है स्वयं सहायता समूह

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण विकास का आधार है। महिलाएं समूह से जुड़कर परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने व आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करने के लिए तत्पर है।

यह बात राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मुख्य महा प्रबन्धक जी.जी. माम्मेन ने भीलवाड़ा में कट्स मानव विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़ द्वारा 5 जून को आयोजित जिला स्तरीय महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कही।

सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव व कट्स इंटरनेशनल के अध्यक्ष मीठा लाल मेहता ने कहा कि महिलाएं संगठित होकर आर्थिक रूप से सबल बनें और गांव के विकास में भी अपना योगदान दें। इस अवसर पर कट्स के महामंत्री प्रदीप महता ने महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनने की प्रेरणा दी। नाबार्ड के महाप्रबन्धक आर.एस.जोधा ने नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

इस अवसर पर समूह गठन और महिला विकास में श्रेष्ठ काम के लिए मंजू पाराशर, विनोद कंवर, मंजू राव, सीमा तिवाड़ी, तारादेवी तम्बोली को सम्मानित किया गया। सम्मेलन में जिले की मण्डलगढ़, सुवाणा, बनेड़ा आदि पंचायत समिति क्षेत्रों में गठित 400 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 350 महिलाओं ने भाग लिया।

समूह के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण संभव

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण संभव है। ऐसे समूहों का गठन करना तो आसान है, लेकिन उसे आगे तक ले जाना मुश्किल होता है। जरूरी यह है कि समूह का स्थायीत्व बना रहे और उनकी निरन्तरता कायम रहे।

चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर रवि जैन ने यह विचार कट्स मानव विकास केन्द्र द्वारा 6 जून को चित्तौड़गढ़ में आयोजित जिला स्तरीय स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में व्यक्त करते हुए कहा कि कट्स संस्था महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिलों में काफी सराहनीय कार्य कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने जिले के सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया।

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए राज्य के पूर्व मुख्य सचिव व कट्स इन्टरनेशनल के अध्यक्ष मीठालाल मेहता ने कहा कि संगठन में ही शक्ति है। समूह की महिलाएं संगठित होकर गांव की स्वास्थ-सुरक्षा तथा अन्य समस्याओं के निराकरण व गांव के विकास में भी भागीदार बने। नाबार्ड के जिला उप प्रबन्धक पंकज यादव ने समूहों के लिए नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि जिले में गठित कई समूह इनका लाभ उठा रहे हैं।

कार्यक्रम में कट्स के महामंत्री प्रदीप महता ने समूह की महिलाओं को समाजिक जागृति लाने और गांव के विकास में काम करने को कहा। सम्मेलन में आईसीआईसीआई बैंक प्रबंधक बृज बाहेती, यूनिसेफ के प्रतिनिधि व विभिन्न गांवों से आई समूहों की करीब 300 महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया।

वनों के बिना पर्यावरण संरक्षण असंभव

विकास की अंधी दौड़ में भागते हुए हम पर्यावरण को विषमय करते जा रहे हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हमारे सामने आ रही है। इसके प्रकोप से हमें सिर्फ वृक्ष ही बचा सकते हैं। इसलिए वनों का संरक्षण अति-आवश्यक है।

उक्त विचार उमेश मोहन सहाय, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग राजस्थान ने 'सतत आजीविका के लिए वन' विषयक कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। कार्यशाला का आयोजन कट्स संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 20 जून, 2012 को रोटरी क्लब, जयपुर में किया गया था। श्री सहाय ने राज्य में पर्यावरण सुरक्षा हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के योगदान की सराहना करते हुए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक बनाने का आह्वान किया।

कार्यशाला में के.के.गर्ग, सदस्य सचिव राजस्थान राज्य जैव विविधता संरक्षण बोर्ड, राजस्थान सरकार ने बताया कि लोगों की आजीविका के लिए वन किस प्रकार उपयोगी हैं। उन्होंने वनों के संरक्षण के तौर-तरीकों पर प्रकाश डाला और प्रतिभागियों को जैव विविधता संरक्षण बोर्ड द्वारा संचालित गतिविधियों से भी अवगत कराया। कट्स के अमरदीप सिंह, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी ने विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए वनों के महत्व और वनों के संरक्षण पर प्रकाश डाला।

अभियान प्रभारी धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने अभियान के बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि इस साल प्रदेश की 229 स्वयं सेवी संस्थाएं अपने-अपने क्षेत्र में 'राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान' के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित करेगी। इस अवसर पर पर्यावरण से सम्बन्धित डोक्यूमेन्टरी फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यशाला में अभियान से जुड़ी करीब 200 संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सांसद निधि का दुरुपयोग

हर साल प्रत्येक सांसद को सांसद निधि मद से दो करोड़ रुपए अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए मिलते हैं। लेकिन अधिकांश सांसद न केवल आम जनता के हित में विकास कार्य करवाने और मद में मिली रकम को खर्च करने में बेरुखी दिखा रहे हैं बल्कि इसका दुरुपयोग करने से भी बाज नहीं आ रहे।

यह खुलासा संसद की लोक लेखा समिति ने संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि में निधि से केवल 45 फीसदी धन का सदुपयोग हो पाया। कुछ राज्यों में तो काफी अनियमितताएं भी हुई हैं। आठ राज्यों के नौ जिलों में तो जिला प्रशासन ने बिना सांसद की अनुमति के ही 700 कार्यों पर 9.45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। समिति ने ऐसी कई गड़बड़ियों पर आपत्ति जताते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है। *(रा.प., 01.04.12)*

इनके भ्रष्टाचार की कौन करे जांच?

ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद जैसी संस्थाओं में भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए सरकार ने ऑडिट व्यवस्था तो शुरू कर दी, लेकिन इसके आधार पर जन प्रतिनिधियों की जांच के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। विधान सभा में पेश हो चुकी दो साल की ऑडिट रिपोर्ट का अभी परीक्षण ही नहीं हो पाया है, जबकि तीसरी रिपोर्ट भी आने वाली है।

प्रदेश में पंचायत और निकायों समेत करीब 10 हजार संस्थाओं में से 25 लाख से ज्यादा में गड़बड़ियां पकड़ में आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जबकि इन संस्थाओं में 7651 मामलों में तो 2420.10 लाख रुपए का गबन मिला है। ऑडिट अधिकारियों के अनुसार 2792 प्रकरण गंभीर अनियमितताओं के हैं। अगर इन संस्थाओं की निष्पक्ष जांच की जाए तो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सामने आ सकता है। *(दै.भा., 03.04.12)*

सेहत के नाम पर जीम गए करोड़ों

जनता की सेहत सुधारने और परिवार कल्याण के नाम पर स्वास्थ्य विभाग के तीन कार्यालयों में 20 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की हुई आंतरिक जांच व विशेष जांच रिपोर्टों के अनुसार सीएमएचओ-प्रथम में 10.79 करोड़, सीएमएचओ-द्वितीय में 2.28 करोड़ और डिप्टी सीएमएचओ-परिवार कल्याण में 6.56 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये घोटाले प्रदेश की राजधानी के सिर्फ तीन कार्यालयों में सामने आए हैं। अगर प्रदेश के बाकी 30 कार्यालयों में भी ऐसा ही खेल चल रहा हो तो घोटाले की राशि 200 करोड़ रुपए को पार कर सकती है। इन कार्यालयों में सामने आये खुलासे ने यह आशंका पैदा कर दी है कि कहीं उत्तर प्रदेश जैसा एनआरएचएम घोटाला राजस्थान में भी तो नहीं चल रहा है।

(रा.प., 02.06.12, 03.06.12)

जरूरतमंद तक नहीं पहुंच रहा है पैसा

प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके चलते गांवों के लोगों को लोक कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिलता। पिछले दो साल का ही आकलन किया जाए तो खर्च की गई राशि का प्रतिशत 62 से ऊपर नहीं जा पाता।

उदाहरण के लिए वाटरशेड से जुड़ी योजनाओं में उपलब्ध राशि 271.85 करोड़ रुपए में से 127.60 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं जो कि 46.94 फीसदी बैठता है। केन्द्र सरकार की ओर से योजनाओं में राशि साल के अन्त में मिलती है। इससे गरीबों के लिए बनी इंदिरा आवास जैसी योजनाएं भी प्रभावित होती हैं और घोषित योजनाओं पर काम समय पर नहीं हो पाता।

(दै.भा., 24.06.12)

'सरेराह' हुए घोटाले का खुलासा

विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां हो रही है। ठेकेदार फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों की चपत लगा रहे हैं। सरकारी अधिकारियों को भी उनके द्वारा करोड़ों रुपए की जमकर घूस व गिफ्ट दी जा रही है।

यह खुलासा वर्ल्ड बैंक इन्स्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा विश्व बैंक की मदद से बन रहे राष्ट्रीय राजमार्गों पर आधारित रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट में तीन राजमार्गों पर किए गए काम को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ठेकेदार फर्जी बिलों से लखनऊ-मुजफ्फरपुर हाइवे योजना में ही 40 करोड़ से ज्यादा की चपत लगा चुके हैं। यह तो सिर्फ एक बानगी है। केन्द्रीय सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्री सी.पी.जोशी ने कहा है कि इस मामले की जांच अवश्य कराई जाएगी, यह एक गंभीर मामला है। *(रा.प., 04.04.12)*

सरकार को लगाई 108 करोड़ की चपत

सरकारी खाते में सेंध लगाने के लिए अफसर कैसी-कैसी गली निकालते हैं, इसका नमूना जल संसाधन विभाग की प्रदेश की 27 पेयजल परियोजनाओं में सामने आया है। बजट होने के बावजूद विभाग के आला अफसरों ने राशि की कमी का बहाना बना कर न केवल ठेकेदारों की कार्य अवधि बढ़ा दी, बल्कि वसूली गई करोड़ों रुपए की हर्जाना राशि लौटाकर उन्हें उपकृत भी कर दिया।

इतना ही नहीं, नियमों को ध्यान में रखे बिना मूल्य वृद्धि के नाम पर उन्हें करोड़ों रुपए का भुगतान भी कर दिया। इससे सरकारी खजाने को आठ परियोजनाओं में करीब 108 करोड़ रुपए की चपत लगी। नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। विभागीय सूत्रों के अनुसार मामले की जांच की जाए तो इनमें 400 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आ सकती है। *(रा.प., 15.04.12)*

वसूल नहीं पाया 50 साल पुराना राजस्व

आबकारी विभाग पिछले 50 वर्ष से अपना बकाया राजस्व नहीं वसूल पा रहा है। विभाग में 31 मार्च, 10 तक 253 मामलों में 218.37 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। इनमें से 184 मामले ऐसे हैं जिन पर 196.90 करोड़ रुपए का बकाया राजस्व पिछले पांच सालों से भी ज्यादा अवधि का है। इनमें कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनकी वर्ष 1962-63 से राजस्व वसूली बकाया चली आ रहा है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) की 31 मार्च, 11 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में राजस्व प्राप्तियों की रिपोर्ट में यह खुलासा किया है।

आबकारी विभाग के अनुसार 31 मार्च, 11 को कुल बकाया में से 80.18 करोड़ के मामले न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं तथा 46.93 करोड़ रुपए की राशि देनदारों के पास कोई संपत्ति नहीं होने से वसूल नहीं हो पा रही है। रिपोर्ट पर गौर करे तो 31मार्च 2005 से 31 मार्च 2010 की बकाया राशि 213.34 करोड़ से बढ़कर 218.37 करोड़ रुपए पहुंच गई है। *(दै.भा., 27.04.12)*

कुप्रबन्धन से करोड़ों का नुकसान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भारी कुप्रबन्धन से 1300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में इसका खुलासा करते हुए कहा गया है कि इन हानियों को बेहतर प्रबंधन से नियंत्रित किया जा सकता था। प्रधान महालेखाकार सुमन सक्सेना ने सिविल, कॉमर्शियल और स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कई सरकारी योजनाओं में विभिन्न स्तर पर बरती गई अनियमितताओं और इससे हुए नुकसान का विस्तृत आंकलन दिया गया है।

उन्होंने बताया कि विभिन्न स्तर पर खामियों में सुधार के लिए सरकार को सुझाव भी दिए गए हैं। बिजली कंपनियों पर बढ़ता कर्ज, औद्योगिक निवेश में कमी, परिवहन निगम में हुई हानि का खास कारण कुप्रबन्धन व वित्तीय प्रबन्धन का ठीक न होना है। उन्होंने बताया कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस नीतियों की जरूरत है।

(रा.प.एवं दै.भा., 14.04.12)

गरीबी बेरोजगारी हटाने में कछुवा चाल

प्रदेश में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए विदेशी सहायता से मिला धन भी समय पर खर्च नहीं हुआ। पिछले साल प्रदेश में 6 पश्चिमी जिलों में गरीबी हटाने और 17 जिलों में ग्रामीणों को रोजगार के अवसर देने के लिए विदेशी सहायता से मिली राशि का महज 7 फीसदी हिस्सा ही खर्च हुआ।

सरकार ने इन योजनाओं के लिए पूरे साल में 84 करोड़ रुपए खर्च करना तय किया था लेकिन मार्च 2012 तक केवल 6.91 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। इसके अलावा विदेशी सहायता से चल रहे बुनियादी ढांचा विकास की अन्य परियोजनाओं में भी खर्च के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। *(रा.प., 14.05.12)*

मनरेगा में करोड़ों का गबन

विकास कार्यों के नाम पर पंचायतों ने कायदे कानूनों को ताक पर रख कर आनन-फानन में मनरेगा का करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर दिया। यह ही नहीं कई पंचायत समितियों में सोफा सेट, एसी व अन्य विलासिता के सामान खरीद लिए जो नियम विरुद्ध है। कई पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में करीब 15 लाख रुपए के स्वीकृत कार्य श्रमिकों की बजाय मशीनों से करवाए गए। आठ जिलों की सीएजी रिपोर्ट इसका खुलासा करती है।

रिपोर्ट के अनुसार बाड़मेर, बीकानेर व करौली में 13.27 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत 134 कार्य वार्षिक कार्ययोजना में शामिल नहीं होने के बावजूद स्वीकृत किए गए। लाखों रुपए बैंकों से उठा लिए गए लेकिन उनकी कैश बुक में इन्द्राज तक नहीं है। मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों को जारी बजट में जमकर बंदरबाट हुई है।

(दै.भा., 04.04.12, 15.04.12)

खुले में पड़ा लाखों टन गेहूं सड़ेगा

प्रदेश में मानसून पूर्व की बरसात शुरू हो गई है और करीब चार लाख मीट्रिक टन गेहूं के भीगने की और खराब होने की आशंका है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो गेहूं की बम्पर फसल पैदा करने वाले किसान की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सरकार द्वारा घोषित बोनस की घोषणा से गेहूं की रिकार्ड सरकारी खरीद हो रही है और खरीदा गया गेहूं खुले में पड़ा है।

हाल ही श्रीगंगानगर, कोटा और बूंदी खरीद केन्द्र पर गेहूं बरसात में भीग गया। किसानों को बारदाना भी नहीं मिला, जिससे हताश किसानों ने गेहूं खुली नीलामी में बेच दिया। खुद सरकार ने माना है कि उनके पास गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त गोदाम तक नहीं है।

(रा.प., 17,06.12 एवं 19.06.12)

कोयला घोटाला-हुआ करोड़ों का नुकसान

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के मुताबिक 2004 से 2009 के बीच बिना नीलामी के कोल ब्लॉक आवंटित किए गए। इससे सरकारी खजाने को करीब 1.80 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। यह नुकसान निजी कंपनियों को पहुंचाए गए अवांछित लाभ के एवज में हुआ।

कैग की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में कुछ निजी कंपनियों को लाखों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने की खबर पर संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के आखिरी दिन काफी जमकर हंगामा हुआ। मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी (जेपीसी) गठित करने की भी मांग उठी। विपक्ष का यह मानना है कि यह घोटाला 2जी घोटाले से भी बड़ा हो सकता है। *(रा.प. एवं दै.भा., 23.05.12)*

जलदाय विभाग में कमीशनखोरी की जंग

जलदाय विभाग में 50 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। अभियंताओं ने कमीशनखोरी के साथ सरकार को दोतरफा चूना लगाया है। पहले कमीशनखोरी के चक्कर में ज्यादा सामान खरीदा गया अब करोड़ों का सामान गोदामों में जंग खा रहा है। यह खुलासा वित्त विभाग की विशेष जांच में हुआ है।

खास बात यह है कि बेवजह करोड़ों की खरीद कर विभाग को नुकसान पहुंचाने वाले अभियंताओं पर कार्रवाई की जगह उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। जांच में सहायक अभियंता से मुख्य अभियंताओं तक को इसके लिए जिम्मेदार माना है लेकिन करीब 50 करोड़ रुपए की अनियमितताओं के मामले में एक नोटिस तक जारी नहीं हुआ। रिपोर्ट में गोदामों से तीन साल माल नहीं उठा, खराब भी हो गया, अभियंताओं से रिकवरी तो दूर, विभाग कार्रवाई में ही कोताही बरत रहा है।

(रा.प., 09.06.12)

कितने पौधे जिंदा, नहीं है रिकॉर्ड

हरित राजस्थान के तहत उदयपुर जिले में हर साल लगाए जाने वाले पौधों में से कितने पौधे जिंदा हैं, इसका वन विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। खास बात तो यह है कि पिछले सालों में विभिन्न विभागों द्वारा तय लक्ष्यों से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं, उनमें से कितने पौधे जिंदा बचे इसे कोई नहीं जानता ?

गौरतलब यह है कि जहां वर्ष 2009-10 में जिले में 33.14 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था, उस पर विभागों ने 44.54 लाख पौधे लगा डाले। इसी तरह वर्ष 2010-11 में 31.74 लाख के लक्ष्य पर 55.82 लाख पौधे लगा दिए। दूसरी ओर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार में करीब पौने तीन लाख पेड़ों की बलि ली जा रही है। इसके बदले पेड़ लगाने के लिए वन विभाग को करीब 45 करोड़ रुपए की राशि दी गई, लेकिन इन मार्गों पर वापस पेड़ लगाए हों ऐसा दिखाई नहीं पड़ता।

(दै.भा., 23.04.12, 03.06.12)

केवल लोकपाल बिल से बात नहीं बनेगी

पांचवा स्तम्भ के पिछले अंक में छपा समाचार 'देश में नेताओं का नैतिक पतन' पढ़कर बड़ा दुःख हुआ कि देश में भ्रष्टाचार के जरिये नेता और नौकरशाह किस प्रकार अपने चरित्र की बलि चढ़ा कर धन बटोर रहे हैं। सरकार जो अरबों-खरबों रुपए की योजनाएं बनाती है, उनका बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचारियों की जेब में चला जाता है। इसका समाधान आज का शासन, प्रशासन, संवैधानिक नियम व व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर पा रही है?

निम्न उपायों से देश में व्याप्त भ्रष्टाचार व गन्दा वातावरण काफी हद तक साफ हो सकता है। केवल लोकपाल बिल पारित हो जाने से बात बनने वाली नहीं हैं:

- *स्कूल-कॉलेजों में नैतिक शिक्षा अनिवार्य की जाए। लोगों को जीवन का सही अर्थ समझाया जाए। ईमानदार लोगों की समाज में कद्र की जाए।*
- *भ्रष्ट लोगों की फास्ट-ट्रेक अदालतों में सुनवाई हो व भ्रष्टाचारी को फांसी की सजा दी जाए। काला धन खत्म किया जाए।*
- *भ्रष्टाचारी पीएम व पीयोन को बराबर का दोषी माना जाए।*

भ्रष्टाचारियों को जेल में बन्द कर फिर जमानत पर छोड़ दिया जाता है। क्योंकि, राजनेता व सभी राजनीतिक पार्टियां भ्रष्ट हो चुकी हैं, सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी भ्रष्टाचारी को फांसी की सजा दे, उसे तुरन्त फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता। इसीलिए भ्रष्टाचार फल-फूल रहा है। नेताओं व नौकरशाहों के गाल व पेट फूलकर बेडोल हो रहे हैं और आम आदमी कमजोर होता जा रहा है। यह कब तक चलेगा?

-डॉ. भगवत सिंह तंवर (तोमर), पूर्व चीफ इंजीनियर, चित्तौड़ीखेड़ा, चित्तौड़गढ़

काली कमाई होगी जब्त

सरकार से तनख्वाह लेने वाले चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री और न्यायिक अधिकारी तक की गलत तरीके से कमाई गई सम्पत्ति अब जब्त होगी। यह प्रावधान राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक में किया गया है।

इस विधेयक को राज्य विधानसभा ने पारित कर दिया है। ऐसे प्रकरणों के लिए जयपुर और जोधपुर में दो विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे। इनमें सेवानिवृत्त अधिकारी नहीं लगाए जाएंगे, केवल डीजे या एडीजे स्तर के मौजूदा अधिकारी लगाए जाएंगे और उनका नियंत्रण हाईकोर्ट के पास होगा। अगर न्यायालय के फैसले में कोई निर्दोष साबित हो जाता है तो उसे सम्पत्ति वापस लौटा दी जाएगी। *(रा.प. एवं न.नु, 13.04.12)*

यह है खास प्रावधान

- *विशेष न्यायालय एक साल में फैसला कर देगा, हाईकोर्ट विशेष परिस्थिति में अधिकतम 3 माह तक ही स्टे दे सकेगा।*
- *मुकदमा दर्ज होने के बाद बेचान या हस्तान्तरण अवैध होगा।*
- *सम्पत्ति का आकलन बाजार दर से होगा, दोषमुक्त होने पर जब्त सम्पत्ति पांच फीसदी ब्याज के साथ वापस मिलेगी।*

तीन माह में देनी होगी अभियोग की अनुमति

केन्द्र सरकार ने अपने सभी विभागों को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के मुताबिक भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग चलाने की इजाजत तीन माह में अवश्य देनी होगी। केन्द्र ने यह निर्देश वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह (जीओएम) की सिफारिश के बाद दिए हैं।

जीओएम का गठन भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सुझाव देने को किया गया है। निर्देशों के अनुसार यदि अधिकारी किसी कर्मचारी के खिलाफ निर्धारित समय में अभियोग चलाने की अनुमति नहीं देता है तो उसे सात दिन के भीतर अपने उच्च अधिकारियों को इसका कारण बताना होगा। ऐसा ही काम अगर विभागीय मंत्री करते हैं तो उन्हें सात दिनों में ही प्रधानमंत्री को इसकी कारण सहित सूचना देनी होगी। सभी मंत्रालय के सचिवों को ऐसे मामलों की निगरानी रखने को कहा गया है। *(दै.भा., 04.05.12)*

भ्रष्टाचारियों का सर्वे कराएगी सरकार

भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़े गए लोकपाल आन्दोलन से सबक लेते हुए अब केन्द्र सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है। सरकार अब सभी विभागों में सर्वे कराएगी, जिससे पता चल सके कि कहां किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है और इसमें कौन-कौन लिप्त है? भ्रष्टाचार को खत्म करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है और इसके लिए कैसे कदम उठाए जा रहे हैं?

सर्वे रिपोर्ट मार्च 2013 तक सरकार को मिल जाएगी। सर्वे के लिए सरकार की ओर से विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई है। यह देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होने वाला पहला अधिकारिक सर्वे होगा और सभी सरकारी विभाग इसके दायरे में होंगे। *(रा.प., 10.05.12)*

सरकार ने माना, देश में है भ्रष्टाचार

देश में हर ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अब यह बात केन्द्र सरकार भी मान चुकी है। केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय की ओर से तैयार कराए बैक्ग्राउंडर पेपर में साफ कहा गया है नौकरशाही में रिश्वत का घुन ऊपर से नीचे तक लग चुका है। इसने राजनीतिज्ञों और शीर्ष नौकरशाहों के बीच नापाक गठबन्धन बना लिया है।

इस पेपर में कहा गया है कि उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार राजनीतिज्ञ और नौकरशाहों के गठबन्धन का परिणाम है तो निचले स्तर पर कमजोर तंत्र और बीमार सार्वजनिक सेवाएं इसे बढ़ा रही है। सरकारी विभागों में कोई भी काम बिना रिश्वतखोरी के संभव नहीं है। तंत्र में घुस चुका भ्रष्टाचार आम लोगों पर विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। इस बारे में कम जानकारी है कि कौन भ्रष्ट है और कहां से इस व्यवस्था का संचालन हो रहा है। *(रा.प., 15.04.12)*

निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकेगा नया कानून

सरकारी तंत्र से जुड़े लोकपाल विधेयक की तरह केन्द्र सरकार निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नया कानून बना रही है। इसके तहत भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति तथा संगठन, ट्रस्ट, कंपनी या सोसायटी के संचालकों को 7 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है।

गृह मंत्रालय ने इसके लिए आईपीसी (संशोधन) विधेयक का प्रारूप तैयार कर राज्यों की राय लेने के लिए भेजा था। 20 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों ने इस पर सहमति जता दी है। फिलहाल देश में निजी क्षेत्र के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। ज्यादातर मामले इसी वजह से सामने नहीं आ पाते हैं। *(रा.प., 29.05.12)*

भ्रष्ठाचार से है लोगों में गुस्सा

यूपीए-2 के तीन साल पूरे होने पर सरकार के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। इसमें सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। चुनौतियां भी बताई गई। कई नाकामियों को छुपाया भी गया। लेकिन तीन साल बाद ही सही, यह मान भी लिया गया कि जनता में भ्रष्टाचार को लेकर काफी गुस्सा है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ही नहीं, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी देश में व्याप्त भ्रष्टाचार नजर आ गया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब लोकपाल लाना ही होगा। *(दै.भा., 23.05.12)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
पाली	रुधाराम	सब इंस्पेक्टर, जैतारण थाना, पाली	10,000	दै.भा., 03.04.12
कोटा	फतेहसिंह मीणा मोहम्मद हारून	मुख्य अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम, कोटा जोन टी.ए., जयपुर विद्युत वितरण निगम, कोटा जोन	20,000	रा.प., 03.04.12
झुंझुनूं	पी.के.गुप्ता	अधीक्षक, मुख्य डाकघर, झुंझुनू	5,000	रा.प. एवं दै.भा., 04.04.12
भीलवाड़ा	अहसान मोहम्मद कैलाश चन्द शर्मा	सचिव, ग्राम पंचायत, जगपुरा जेटीओ, ग्राम पंचायत, जगपुरा	10,000	दै.भा., 04.04.12
बीकानेर	सोहनलाल गोदारा	जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी तथा संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1,05,000	रा.प. एवं दै.भा., 14.04.12
अलवर	नन्द किशोर राजेश गुप्ता	चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, नगर विकासन्यास कार्यालय सिक्युरिटी गार्ड, नगर विकासन्यास कार्यालय	5,000	दै.भा., 17.04.12
अजमेर	एस.डी.आसूदानी	अधिशासी अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम	5,000	दै.भा. एवं रा.प., 20.04.12
हनुमानगढ़	रामकरण यादव	व्याख्याता, गांव सूरेवाला, तह.टिब्बी	7,800	दै.भा. एवं रा.प., 20.04.12
चूरू	नवीन कुमार सोनी	सहायक अभियंता, मनरेगा, तारानगर पंचायत समिति	7,000	दै.भा. एवं रा.प., 20.04.12
जालौर	रविन्द्रसिंह राजपुरोहित	कनिष्ठ तकनीकी सहायक, मनरेगा, जालौर	6,000	रा.प., 20.04.12
अजमेर	सुधीर जैन	मण्डल वन अधिकारी, वन विभाग	20,000	रा.प. एवं दै.भा., 22.04.12
सिरोही	रामलाल मीणा प्रियंका मीणा	जेईएन, आहोर पंचायत समिति जेईएन, आबूरोड पंचायत समिति	20,000	दै.भा. एवं रा.प., 28.04.12
झुंझुनूं	रामनाथ मीणा पवन बंसल	सेक्सन इंजीनियर, उत्तर-पश्चिम रेलवे एईएन, उत्तर-पश्चिम रेलवे	20,000 20,000	रा.प., 29.04.12
जयपुर	राजेन्द्र शर्मा	पीए, राजस्थान पुलिस मुख्यालय, जयपुर	10,000	रा.प., 02.05.12
जयपुर	सुभाष चन्द सिंह सुशील शर्मा	अतिरिक्त मुख्य अभियंता (विद्युत), बीएसएनएल,जोधपुर कार्यपालक अभियंता (विद्युत), बीएसएनएल,कोटा	40,000	दै.भा. एवं रा.प., 06.05.12
उदयपुर	ओम जोशी	कनिष्ठ अभियंता, सर्वशिक्षा अभियान विकास खंड गिर्वा	95,000	रा.प. एवं दै.भा., 09.05.12
सिरोही	हेमराज प्रजापत	रीडर, सीजेएम कोर्ट, सिरोही	10,000	रा.प. एवं दै.भा., 10.05.12
बांरा	हेमन्त शर्मा	एक्सईएन, एनआरएचएम,कोटा	28,000	रा.प. एवं दै.भा., 10.05.12
उदयपुर	मंजू साहू अम्बालाल शर्मा	पार्षद, वार्ड संख्या 44, उदयपुर सहयोगी, व्यापारी	15,000	रा.प., 13.05.12
चित्तौड़गढ़	गोपाल लाल	पटवारी, सोनियाणा, गंगरार, चित्तौड़गढ़	10,000	रा.प., 15.05.12
जयपुर	कैलाश चन्द पारीक	प्रोडेक्ट प्लांट ऑपरेटर, जयपुर डेयरी	13,000	दै.भा. एवं रा.प., 16.05.12
हनुमानगढ़	अहमद शरीफ	भादरा थाना प्रभारी, हनुमानगढ़	7,000	रा.प., 26.05.12
जयपुर	मूलीदेवी महावरा	सरपंच, ब्राह्मण बैराड़ा, दौसा जयपुर	4,500	रा.प., 31.05.12
उदयपुर	प्रेमकुमार शर्मा	प्रवर्तन अधिकारी, कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन	5,000	दै.भा., 01.06.12
श्रीगंगानगर	योगेश कुमार	जेईएन, जोधपुर विद्युत वितरण निगम	5,000	रा.प., 05.06.12
उदयपुर	मोहनलाल प्रतिहार अर्जुनलाल मीणा	उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड कार्यालय, खेरवाड़ा पेशकार, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, खेरवाड़ा	25,000	रा.प. एवं दै.भा., 10.06.12
चित्तौड़गढ़	भगवती लाल शर्मा	सुपरवाइजर, सहकारी भूमि विकास बैंक, चितौड़गढ़	4,000	रा.प., 15.06.12
प्रतापगढ़	गौतमसिंह राजपूत	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, धरियावाद	5,500	दै.भा. एवं रा.प., 22.06.12
उदयपुर	डॉ. गीता पटेल	चेयरमेन, सरस डेयरी, उदयपुर	10,000	रा.प. एवं दै.भा., 30.06.12

राजस्थान को एक करोड़ का पुरस्कार

पंचायती राज व्यवस्थाओं में सुधार और पांच विषयों को पंचायती राज में हस्तान्तरित करने संबधी लिए गए निर्णय पर केन्द्र सरकार ने प्रदेश को एक करोड़ रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया है। राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महेन्द्र सिंह मालवीय ने तीसरे पंचायती राज दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन मे केन्द्रीय जनजाति मामलों एवं पंचायती राज मंत्री किशोर चंद्र देव एवं ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दौसा जिले की सैंथल ग्राम पंचायत की सरपंच विमला देवी मीणा को राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया गया। पुरस्कार के तौर पर उन्हें पांच लाख रुपए नगद दिए गए। यह राशि पंचायत के विकास पर खर्च की जाएगी।

(दै.भा. एवं रा.प., 25.04.12)

घोषणाओं को पूरा करने की तारीखें तय

राज्य सरकार ने अपनी बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए सभी विभागों के लिए तारीखें तय कर दी हैं। सभी विभागों के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तय मियाद में घोषणाओं को पूरा करे।

राज्य के मुख्य सचिव सी.के.मैथ्यू की अध्यक्षता में वित्त विभाग, आयोजना विभाग व अन्य विभागों के साथ क्रियान्विति की समीक्षा बैठकों के बाद इसके लिए एक कलेण्डर तैयार किया गया है। इसमें सभी बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए 30 जून को मील का पत्थर बनाया गया है। इस तारीख तक सभी योजनाओं के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होनी हैं, जिनमें वित्तीय मंजूरी सबसे महत्वपूर्ण है। हर विभाग को अपनी कार्ययोजनाओं को 30 जून तक सरकार में उच्च स्तर पर मंजूर करवाना होगा। *(रा.प., 07.06.12)*

निशुल्क पढ़ाई पर एक अरब से ज्यादा खर्च

पिछले शिक्षा सत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में करीब डेढ़ लाख विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रवेश दिया गया था। इससे राज्य सरकार पर करीब एक अरब 27 करोड़ 14 लाख रुपए का भार पड़ा है। अधिनियम के तहत राज्य में प्रत्येक निजी स्कूल में गरीब बालकों को नि:शुल्क प्रवेश देना अनिवार्य है।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग अब इस संख्या की सच्चाई जानने के लिए निजी स्कूलों का सत्यापन करवाने जा रहा है। इसके लिए जिला स्तर पर दल गठित किए जाएंगे। इससे इस बात की पुष्टि भी हो सकेगी कि नि:शुल्क प्रवेश देने के आदेश की पालना कितनी हुई है। निजी स्कूलों को इस राशि के पुनर्भरण करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने पंचांग जारी किया है। *(दै.भा., 21.06.12)*

विधान परिषद पर मंत्रिमण्डल की मुहर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए विधायी व्यवस्था को और मजबूत करने के नजरिये ये विधान परिषद स्थापित करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विधानसभा में स्थित मंत्रिमण्डल कक्ष में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में दूसरे सदन विधान परिषद के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमण्डल की मंजूरी के बाद पारित प्रस्ताव राज्य विधानसभा में रखा गया जिसे पारित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधान परिषद के अस्तित्व में आने से विधायी व्यवस्था और मजबूत होगी। नियमानुसार विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना जरूरी है। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 66 रहने का अनुमान है।

(रा.प., 10.04.12, 20.05.12)

किसान कार्ड अब बनेगा स्मार्ट कार्ड

प्रदेश के बैकों ने किसानों को ऐसे कार्ड देने की तैयारी कर ली है, जिसके जरिए कृषि उत्पादों की खरीद-फरोख्त एटीएम के साथ मॉल्स में लगी स्वैप मशीनों से की जा सकेगी। इस कार्ड को स्मार्ट कार्ड का नाम दिया गया है और बैकों ने इसी वित्त वर्ष से इसे किसानों को देने की योजना पर अमल शुरू कर दिया है।

किसानों तक यह कार्ड सितम्बर तक पहुंच सकता है। अब तक किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीददारी करते आए हैं। अब यह कार्ड डेबिट और क्रेडिट दोनों रूप में काम करेगा। कार्ड के साथ पासबुक भी जारी की जाएगी। पासबुक में लेन देन की प्रविष्ठियां दर्ज होंगी। यह भारत सरकार की योजना है, जिसमें राज्य के सभी किसानों के पास एक ही तरह का कार्ड होगा। इसमें क्रेडिट की सीमा 75 हजार रुपए से बढ़ा कर एक लाख कर दी गई है।

(रा.प., 05.06.12)

जनता की नहीं सुनी तो देना होगा जुर्माना

अब सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों सहित आम आदमी की समस्याओं को सुनना और सही समाधान करना अफसरों व कर्मचारियों के लिए कानूनी रूप से जरूरी होगा। यदि वे तय समय सीमा में ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके लिए राज्य विधानसभा में 'राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक 2012' पारित कर दिया गया है।

हर दफ्तर में होगा लोक सुनवाई अधिकारी

सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार के हर दफ्तर और विभाग में एक लोक सुनवाई अधिकारी नियुक्त होगा। इससे संतुष्ट नहीं होने पर अपीलीय अधिकारी के पास मामला जाएगा, जो दोनों पक्षों को सुन कर दंड तय करेंगे।

शिकायतों की सुनवाई के लिए लोक सुनवाई अधिकारियों तथा प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। अपील अधिकारियों के पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होंगी, इनके फैसले के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील नहीं हो सकेगी। लोक सुनवाई अधिकारी के लिए भी इनका फैसला अन्तिम रूप से मान्य होगा। आम जन की शिकायतों की सुनवाई और समाधान के लिए प्रदेश भर में सूचना और सुगम केन्द्र खोले जाएंगे। इनमें ग्राहक सेवा केन्द्र, कॉल सेंटर, हैल्प डेस्क और जन सहायता केन्द्रों की भी स्थापना की जाएगी। लोगों की शिकायतों का निपटारा निर्धारित समय सीमा में होगा।

(दै.भा., 26.04.12, 27.04.12)

विधायकों से कराएं अब दोगुना विकास

प्रदेश में विधायकों को अपने इलाके में विकास के काम कराने के लिए विधायक कोष से अब हर साल दो करोड़ रुपए मिलेंगे। पहले यह राशि एक करोड़ रुपए थी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधान सभा में बजट पारित होने से पूर्व यह घोषणा की है। इसके अलावा विधायकों को अब हर माह 10 दिन अपने इलाके में वाहन सुविधा के लिए 10 हजार के बजाय 20 हजार रुपए मिलेंगे। यह आप पर निर्भर करता है कि विधायकों को दी गई इस सुविधा का आप किस प्रकार अपने क्षेत्र के विकास में फायदा उठाएंगे।

(दै.भा.एवं रा.प., 21.04.12)

ऊर्जा अंकेक्षण कराना अनिवार्य होगा

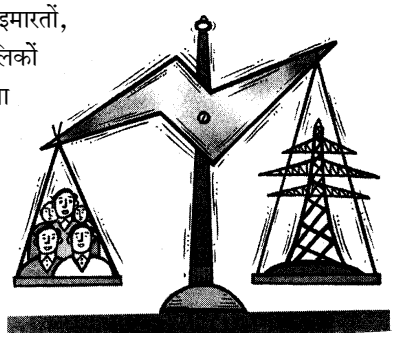

प्रदेश में व्यावसायिक भवन, मॉल, प्लाजा, ऊंची इमारतों, सिनेप्लेक्स और आवासीय मिश्रित उपयोग वाले भवन मालिकों को अब तीन साल में एक बार ऊर्जा अंकेक्षण कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों को न सिर्फ 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा बल्कि उस पर जुर्माना भी अदा करना होगा। राज्य सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत 30 मार्च को इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की है।

यह जानकारी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम महाप्रबंधक बिरदी चन्द ने देते हुए बताया कि प्रदेशभर के ऐसे भवन जिनका विद्युत भार 100 किलोवॉट या इससे अधिक है और कॉन्ट्रैक्ट डिमाण्ड 120 केवीए से ज्यादा है, उन्हें तीन साल में एक बार भारत सरकार के ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो, एनर्जी मेनेजर या अधिस्वीकृत एनर्जी ऑडिट फर्म से ऊर्जा अंकेक्षण कराना अनिवार्य होगा। ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति ऊर्जा निगम कार्यालय को भी भिजवानी होगी। *(रा.प., 03.04.12)*

बिजली कंपनियों पर बढ़ता कर्ज

सीएजी रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि प्रदेश में बिजली कंपनियों का कर्ज भार कंपनियों के वित्तीय कुप्रबंधन और सरकारी अनदेखी के कारण बढ़ा है। साथ ही राज्य सरकार ने भी इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए कहा है कि अफसरों की फिजूलखर्चियों और कुप्रबंधन के चलते कंपनियों का घाटा 38 हजार करोड़ रुपए को पार कर गया। इसके लिए कंपनियां हर रोज 12.76 करोड़ रुपए का कर्ज चुका रही हैं।

बिजली कंपनियों के बढ़ते घाटे पर राज्य विधान सभा में हुए हंगामें के दौरान सरकार ने बिजली कंपनियों के घाटे के बारे में माना कि वर्ष 2010-11 तक जयपुर डिस्कॉम का घाटा 11878 करोड़, अजमेर डिस्कॉम का 12735 करोड़, जोधपुर डिस्कॉम का 11446 करोड़, राजस्थान राज्य बिजली प्रसारण निगम का 1634 करोड़ और राजस्थान राज्य बिजली उत्पादन निगम का घाटा 553 करोड़ रुपए है।

(दै.भा., 14.04.12,17.04.12)

किसानों को 3500 रुपए में कनेक्शन

ऊर्जा मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि खेतों में बने मकानों में घरेलू बिजली कनेक्शन देने के लिए प्रति किसान 3500 रुपए लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गांवों में कृषि कनेक्शन की बिजली आपूर्ति का समय निश्चित नहीं है। इस कारण अधिकतर किसान खेत में ही मकान बनाकर रहते हैं। इन मकानों में बिजली कंपनियों की ओर से घरेलू कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे।

ऊर्जामंत्री ने कहा कि अब खेतों में दो किलो मीटर की परिधि पर पांच काश्तकारों का समूह बनाकर विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। किसानों से कनेक्शन उपलब्ध कराने के सिर्फ 3500 रुपए लिए जाएंगे। एक सौ से कम आबादी वाली ढ़ाणियों में अगले दो सालों में 60 हजार विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 100 से 300 तक की आबादी वाली ढ़ाणियों में बिजली कनेक्शन देने के लिए 1350 करोड़ रुपए की एक परियोजना स्वीकृति के लिए भिजवाई गई है। *(रा.प., 20.04.12)*

जल्द लागू होगी पवन ऊर्जा नीति

प्रदेश में अब तक पवन ऊर्जा के लिए अलग से कोई नीति नहीं है। लेकिन अब पवन ऊर्जा नीति का मसौदा तैयार किया जा चुका है। जल्द ही इसे केबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।

नीति में पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले निवेशकों को रियायती दर पर जमीन और विद्युत शुल्क में मिल रही छूट के अलावा उत्पादित बिजली की सरकारी खरीद के लिए खुली निविदा प्रक्रिया और पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावना पता लगाने के लिए डीएलसी दरों पर जमीन देने का प्रावधान भी किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि अलग नीति बनने से पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा।

(रा.प., 09.05.12)

उजाले के सपने पर 'लापरवाही'

गांवों तक बिजली का सपना लेकर शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना प्रदेश में लापरवाही की भेंट चढ़ती दिख रही है। योजना के तहत 2005 से लेकर अब तक प्रदेश के लिए 1338 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। जिसमें से 971 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है। इसमें 4388 गांवों को बिजली से जोड़ना तय है, लेकिन योजना के सात साल बीतने के बावजूद अभी तक 3523 गांवों को विद्युतिकृत किया गया है।

अभियंताओं व ठेकेदारों की मनमर्जी के चलते अभी भी 865 गांवों के लिए बिजली सपना बनी हुई है। जयपुर डिस्कॉम में धौलपुर जिला सबसे पीछे है। जहां 94 गांवों को बिजली नसीब नहीं है। इसके अलावा करौली, बारां आदि जिलों में भी काम की गति धीमी है। उधर जोधपुर डिस्कॉम में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर जिलों में तो 50 से 70 फीसदी गांव रोशन नहीं हुए। पिछले दिनों इस कछुवा चाल पर विधान सभा में भी मामला उठा था। *(रा.प., 05.04.12)*

नहीं बना सोलर सिटी प्लान

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2008 में देश के विभिन्न शहरों को सोलर सिटी बनाने की योजना घोषित की थी। इसके तहत प्रदेश के तीन शहरों जयपुर, जोधपुर और अजमेर का चयन किया गया था। सोलर सिटी बनाने के लिए नगर निगमों को एक मास्टर प्लान बना कर देना था। इसके लिए केन्द्र सरकार दस लाख रुपए प्रति शहर दे रही है।

सोलर सिटी प्लान के बाद इन शहरों को सोलर स्ट्रीट लाइट, ट्रेफिक लाइट होर्डिंग तथा अन्य उपकरण रियायती दर पर मिल सकते थे और इनके जरिए पांच साल में शहर के परम्परागत स्त्रोतों से मिल रही बिजली की खपत दस प्रतिशत तक कम हो सकती थी। लेकिन प्रदेश के नगर निगमों की सुस्ती से अभी भी यह योजना लागू नहीं हुई।

(रा.प., 28.05.12)

बिजली संकट से अभी राहत नहीं

राज्य में बिजली संकट टालने के फिलहाल कोई आसार नहीं हैं। प्रदेश में पिछले 10 से 12 सालों में बिजली का पर्याप्त उत्पादन नहीं हुआ। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि प्रदेश के बिजली संकट के मसले पर उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की है। जिस गति से प्रदेश में बिजली की खपत बढ़ रही है, उस गति से प्रदेश में बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से नियमानुसार दी जाने वाली मदद समय पर दी जाती है। इसके बाद भी बिजली संकट बना रहता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए नई परियोजनाएं तैयार हो रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ही बिजली संकट पर काबू पाया जा सकेगा।

(दै.भा., 06.06.12)

गठित होगा नियामक प्राधिकरण

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान जल संसाधन नियामक बिल 2012 को मंजूरी दे दी गई है। इससे अब राजस्थान जल संसाधन नियामक प्राधिकरण के गठन का रास्ता साफ हो गया है।

जल संसाधन नियामक बिल के तहत होने वाले प्राधिकरण से हर साल राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों की मांग एवं आपूर्ति के आधार पर समग्र योजना बनाई जा रही है। यह प्राधिकरण राज्य जल नीति के प्रावधानों के अनुसार काम करेगा।

यह एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर हाइड्रोलॉजिकल डाटा तैयार करेगा। प्राधिकरण राज्य नीति के अनुसार प्रदेश में जल संरक्षण एवं प्रबंधन को बढ़ावा देगा और क्रियान्विति सुनिश्चित करेगा। यह पानी के प्रबंधन की मॉनिटरिंग करेगा। पानी के लिए वार्षिक योजना तैयार करेगा और मांग व आपूर्ति पर नजर रखेगा। *(रा.प.एवं दै.भा., 10.04.12)*

राज्य को मिलें खास दर्जा

राजस्थान सरकार ने राज्य की पेयजल समस्या के समाधान के लिए विशेष दर्जा देने के साथ ही केन्द्र सरकार से 50 हजार करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है। प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क व जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश की अध्यक्षता में पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता विषय पर राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों के सम्मेलन में उक्त मांग की।

जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश का 66 फीसदी भू-भाग रेगिस्तानी है। प्रदेश में करीब 32 हजार गांवों में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। राजस्थान की विषम परिस्थितियों के मद्देनजर केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए। इस पर जयराम रमेश ने बताया कि प्रदेश के लिए जापान और विश्व बैंक की परियोजनाओं पर विचार चल रहा है।

(दै.भा., 26.05.12)

मेट्रो बनेगी पानी सहेजने की मिसाल

जयपुर में मेट्रो अगले साल से लोगों को बेहतर परिवहन के साथ बारिश का पानी सहेजने का संदेश भी देगी। देश में यह पहला प्रोजेक्ट होगा, जो करीब एक लाख वर्गमीटर क्षेत्र में बरसने वाले पानी को सीधे धरती के गर्भ में पहुंचाएगा।

मेट्रो का ट्रेक मानसरोवर से चांदपोल के बीच करीब 10 किलोमीटर तक लंबा और 10 मीटर तक चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब एक लाख वर्गमीटर का है। इस ट्रेक और इसकी छत पर बरसने वाला पानी व्यर्थ नहीं बहकर, इसमें बनने वाले वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के जरिए सीधे धरती के भीतर जाएगा। बारिश का पानी सहेजने का यह प्रयास एक मिसाल साबित होगा।

(रा.प., 30.05.12)

गहरे ट्यूबवेलों से गिरा भूजल स्तर

पूरे उत्तर भारत में भूमिगत जल का स्तर तेजी से घट रहा है। वर्ष 2002 से 2008 तक में उत्तर भारत में 109 घन किलोमीटर भूजल गायब हो गया। इसका खुलासा यूनाइटेड स्टेट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे की एक रिपोर्ट में किया गया है। जल स्तर गिरावट की यह दर 54 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष से अधिक की दर को पार कर चुकी है। इसके पीछे आबादी या अधिक दोहन से ज्यादा ट्यूबवेलों को अधिक गहराई तक खोदना माना जा रहा है। वर्ष 2010 के दौरान अच्छी बारिश के बाद भी भूमिगत जल स्तर नहीं बढ़ा है।

सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि 1960 से पहले भूमिगत जल स्तर गिरने की स्थिति नहीं थी। इसके बाद 1970 से यह स्थिति धीरे-धीरे बढ़ी, जब ट्यूबवेल खोदने शुरू हुए। वर्ष 1950 में पूरे दक्षिणी एशिया में 1.5 लाख ट्यूबवेल थे, 2000 के अन्त तक यह संख्या 19 खरब तक पहुंच गई।

(दै.भा., 29.04.12)

वाटरशेड योजनाओं के लिए मिले मदद

राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि रेगिस्तानी प्रदेश राजस्थान को वाटरशेड योजनाओं के लिए अधिकाधिक केन्द्रीय मदद उपलब्ध कराई जाए। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि समेकित वाटरशेड योजनाओं को महानरेगा से जोड़कर जलस्त्रोतों की पुर्नसंरचना के कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे अकाल, सूखा और पेयजल संकट से राहत मिल सकेगी। वाटरशेड योजनाओं को बढ़ावा मिलने से देश में कृषि के क्षेत्र में जबरदस्त क्रान्ति आई है।

राज्य सरकार ने जल संरचनाओं के सृजन विशेषकर बरसाती जल को रोकने के लिए वन क्षेत्रों में भी तालाब एवं ऐनिकट्स का निर्माण करने के लिए वर्तमान वन संरक्षण कानून को लचीला बनाने की जरूरत पर बल दिया है। इससे जंगलों की सुरक्षा को बनाए रखते हुए व्यर्थ में बह जाने वाले वर्षा जल का संचय किया जा सकेगा।

(न.नु., 09.06.12)

करोड़ों खर्च पर एक बूंद पानी नहीं मिला

पिछले तीन साल के दौरान राज्य सरकार ने 19 पेयजल परियोजनाओं पर 1108 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और उनसे एक बूंद भी पानी नहीं मिला। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में इसका खुलासा करते हुए कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन और बरती गई लापरवाही से हुआ है।

विभाग द्वारा पहले तो ये परियोजनाएं निजी और वन भूमि में शुरू करने का फैसला ले लिया गया, लेकिन अफसरों की गलती और सरकारी सिस्टम में फाइलों के उलझने से विभाग भौतिक कब्जा हासिल नहीं कर पाया। इससे यह पैसा खर्च तो हो गया लेकिन लोगों की प्यास बुझाने के लिए बनी ये परियोजनाएं कागजों में बन्द होकर रह गई।

(दै.भा., 14.04.12)

सस्ता होने से होता है बेजा इस्तेमाल

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि सस्ता होने की वजह से लोग पानी और बिजली का बेजा इस्तेमाल करते हैं। इसे रोकने के लिए सख्त कानून की दरकार है।

उन्होंने दिल्ली में 'भारत जल सप्ताह' के उद्घाटन के मौके पर यह विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भू-जल अभी निजी मिल्कियत है, इसे साझा सम्पत्ति बनाया जाना चाहिए। भारत में आबादी के हिसाब से पानी बेहद कम है। ऐसे में अपनी जमीन से मनमर्जी पानी निकाले जाने की व्यवस्था खत्म करनी होगी। इसके लिए सख्त कानून बनाये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 17 फीसदी आबादी भारत में है। पीने का पानी मात्र चार फीसदी है, इसके बावजूद भू-जल दोहन व इस्तेमाल के लिए अभी तक नियामक नहीं है।

(दै.भा., 11.04.12)

निजात के उपाय

- *जमीन के नीचे से पानी निकालने की सीमा तय हो।*
- *बेहतर जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए सख्त कानून बने।*
- *बिजली और पानी की कीमतें बढ़ाई जाए, बेजा इस्तेमाल रुके।*
- *जल संरक्षण और उपयोग के सामान्य सिद्धांतों को लेकर राष्ट्रीय कानूनी ढ़ांचा बनाया जाए।*

'बाल श्रम अपराध है, मत करिये यह पाप है'

सरकार की ओर से प्रयास किए जाने के बावजूद गांवों में कोई संतोषजनक सुधार नहीं हुआ है। इसका प्रमुख कारण गांवों में व्याप्त कुरीतियां हैं। बालश्रम जैसी अनेक कुरीतियों के चलते आज भी हमारे गांव विकास की धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं।

यह विचार बाल श्रम कल्याण समिति के अध्यक्ष एन.एस मोदी ने अन्तरराष्ट्रीय बाल श्रम दिवस पर कट्स मानव विकास केन्द्र, चित्तौड़गढ़ द्वारा आयोजित कार्यशाला में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि बालश्रम पर रोक लगाने के लिए कई कानून हैं। इसके बावजूद बच्चे पढ़ने की उम्र में खेतों, खादानों, कारखानों, सेठ-साहुकारों और होटलों आदि में काम करते दिखाई देते हैं। लेकिन कानूनी खामियों और प्रशासन की निष्क्रियता के चलते अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार की ओर से चलाई जा रही बाल श्रमिकों के पुर्नवास व विभिन्न कल्याण योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने बच्चों से बाल श्रम कराने के बजाय उन्हें स्कूल भेजने का सन्देश दिया।

कट्स के समन्वयक धर्मवीर यादव ने सेव द चिल्ड्रन के सहयोग से संचालित बाल संरक्षण परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि परियोजना क्षेत्र में बाल श्रमिकों की पहचान कर उनका स्कूलों में ठहराव कराया जा रहा है। कट्स भीलवाड़ा में जल्द ही चाईल्ड हेल्पलाइन शुरू करने जा रहा है। इस अवसर पर बच्चों द्वारा बाल श्रम पर विभिन्न पेन्टिंग्स बनाई गई। बाद में बच्चों को बाल श्रम पर आधारित सेव द चिल्ड्रन द्वारा निर्मित बाल फिल्म जिया व अनमोल मोती भी दिखाई गई। कार्यशाला में 28 गांवों के बाल पंचायत पदाधिकारी, महिला सचेतक और कई गणमान्य नागरिकों ने अपनी सहभागिता निभाई।

प्रदेश में कन्या नीति बनेगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपना पांचवा नारा 'बिटिया बचाओ' दिया है। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या महा पाप है। कई जगह लड़कियों की संख्या कम होने से लड़कों की शादियां नहीं हो रही है। उनके परिवार वालों को दक्षिण-पूर्वी राज्यों से लड़कियां लानी पड़ रही है।

इसे देखते हुए सरकार बेटियों को बेहतर सुविधाएं और हर क्षेत्र में उनके विकास के पर्याप्त अवसर मुहैया कराने के लिए 'कन्या नीति' बनाने जा रही है। इसमें बेटियों के लिए वे हर प्रावधान किए जाएंगे जो देश-दुनिया में अच्छे से अच्छे हों। इसके लिए उन्होंने चिकित्सा विभाग को तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व के नारों पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ में उन्होंने पांचवा नारा बिटिया बचाओ को भी जोड़ा है।

(रा.प., 13.05.12)

बोर्ड देगा बेटियों को छात्रवृत्ति

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ मुहिम चलाएगा। वरीयता सूची में शामिल एकल और युगल बेटियों को छात्रवृति मिलेगी। इसकी शुरुआत इसी साल से होगी। यह जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉ.सुभाष गर्ग ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम जरूरी है। इसके लिए बोर्ड ने छात्राओं को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।

ऐसे अभिभावक जिनके एकल और युगल पुत्री हैं, (पुत्र नहीं) उन्हें सर्वोच्च प्रदर्शन पर छात्रवृत्ति मिलेगी। ऐसी छात्राओं के बारहवीं कक्षा की वरीयता सूची में आने पर 31 हजार और दसवीं में 21 हजार रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। *(रा.प., 16.05.12)*

अब हर बच्चा लगाएगा एक पेड़

राजस्थान में पर्यावरण को मजबूत बनाने के लिए स्कूली बच्चों को जोड़ने की एक अनूठी पहल की गई है। इसके तहत कक्षा पांचवीं से आठवीं तक के राज्य के अस्सी लाख विद्यार्थी अब पेड़ लगाकर हरित राजस्थान के सपने को साकार करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। उन्हें हर साल एक पेड़ लगाने और उसकी नियमित देखभाल की पुख्ता व्यवस्था करनी होगी।

इस कार्य का विद्यार्थी की वार्षिक मूल्यांकन की प्रगति रिपोर्ट में आवश्यक रूप से इन्द्राज व उल्लेख करना होगा। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।

(रा.प., 09.06.12)

हक से पढ़ेंगे गरीब बच्चे

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीआई) की वैधता बरकरार रखते हुए आदेश दिया है कि देशभर के सरकारी और गैर सहायता प्राप्त निजी कूलों में गरीबों को 25 फीसदी निःशुल्क सीटें समान रूप से मिल सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य के तकरीबन 34 हजार से ज्यादा निजी स्कूलों में असुविधाग्रस्त और कमजोर वर्ग के बच्चे अधिकार से अपनी नि:शुल्क सीटें ले सकेंगे।

कोर्ट ने यह आदेश सोसायटी फॉर अनएडेड प्राईवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान की याचिका का निस्तारण करते हुए सुनाया। हालांकि गैर सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक संस्थान आरटीई के दायरे से मुक्त रहेंगे। प्रदेश में इस श्रेणी के करीब 200 स्कूल हैं। *(रा.प., 13.04.12)*

जननी शिशु सुरक्षा योजना पर उठे सवाल

केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के मकसद से जननी शिशु सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत प्रसुताओं और बीमार नवजात शिशुओं को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क सभी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

इस योजना के लागू होने से सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने के प्रति जागरूकता बढ़ी व सरकारी अस्पतालों में प्रसव संख्या में भी इजाफा हुआ। लेकिन योजना से मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी नहीं आई। विशेषज्ञों की नजर में इसकी मुख्य वजह अस्पतालों में जरूरी इंतजामों की कमी और खामियां होना है। सरकार को इस दिशा में जल्द आवश्यक कदम उठाने चाहिए। *(दै.भा., 01.05.12)*

विवाह का रजिस्ट्रेशन जरूरी

अब शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। केन्द्रीय केबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत सभी धर्मों के विवाहों का रजिस्ट्रेशन और आनंद कारण के तहत होने वाली सिखों की शादी को मान्यता देने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969 में संशोधन किया जाएगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री कपिल सिब्बल ने बताया कि पंजीकरण अनिवार्य होने से वैवाहिक और रखरखाव मामलों में जूझ रही महिलाओं को अपने विवाह का सबूत देने के साथ ही विवाह करने वालों की उम्र और बच्चा किसे सौंपा जाए, ये साबित करने में आसानी होगी। *(रा.प., 13.04.12)*

महिला सशक्तिकरण पर रहेगा जोर

फिक्की की एफएलओं की ओर से आयोजित एक विशेष सत्र में फिक्की एफएलओ की नई अध्यक्ष विन्नी कक्कड़ ने कहा है कि अपने कार्यकाल में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में महिला सशक्तिकरण पर जोर देगी।

इसके लिए संगठन समय-समय पर शैक्षिक जागरूकता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और वार्ता एवं संवाद कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।

(रा.प., 25.04.12)

सड़क सुरक्षा

बढ़ रहा है सड़क हादसों में मौत का ग्राफ

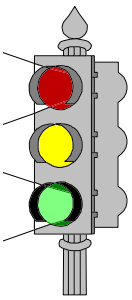

देश की सड़कें अजगर बन कर लोगों को निगल रही है। पिछले 11 सालों में सड़कों पर निकले करीब 76000 लोग मंजिल तक नहीं पहुंच सके, पहुंची तो सिर्फ उनकी मौत की खबर ...।

सड़क हादसों में मौतों का सिलसिला हर साल बढ़ रहा है। आंकड़ों ने हादसों और मौत पर अंकुश लगाने के सरकारी प्रयासों की पोल खोल कर रख दी है। सूत्रों के अनुसार परिवहन विभाग ने हाल ही में पुलिस, इंश्योरेंस कम्पनी और अन्य ऐजेंसियों से सड़क हादसों के आंकड़ों को लेकर साल 2011 तक की रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट की माने तो सड़क हादसों में दम तोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

इस पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में दो साल पहले राज्य सरकार ने रोड सेफ्टी काउंसिल बनाई थी, जिसकी करीब पांच बैठकें ही हो सकी। साल 2010 में परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में हादसों को कम करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। समिति की 18 मार्च व 21 मई 2010 की बैठकों में कार्ययोजना तक तैयार कर ली गई, लेकिन उसका असर नहीं दिखा। *(रा.प., 30.04.12)*

पर्यावरण

उर्वरकों ने छीनी भूमि की उर्वरा शक्ति

प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों के लगातार और असंतुलित इस्तेमाल से भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। इससे जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ रहा है। भूमि में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जबरदस्त बढ़ रही है। इससे जमीन के बंजर होने का खतरा मंडराने लगा है। राज्य के कृषि आयुक्त भी मान रहे हैं कि इससे फसलों की उत्पादकता प्रभावित हो रही है। भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का आदर्श अनुपात 4:9:1 होना चाहिए, जबकि प्रदेश की भूमि में यह अनुपात बढ़कर 15:9:1 हो गया है। इससे फसलों में भी रासायनिक प्रभाव देखा जा रहा है।

राज्य में गत पांच वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2010-11 में उर्वरकों की जहां 27.64 लाख मै.टन खपत हुई वहीं वर्ष 2011-12 में यह बढ़कर 29.99 लाख मै.टन हो गई, जो औसत खपत से 23 फीसदी ज्यादा है। सूरसागर विधायक सूर्यकान्ता व्यास के राज्य विधान सभा में लगाए गए कटौति प्रस्ताव के लिखित जवाब में सरकार ने भी माना है कि रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। सरकार ने भूमि की भौतिक दशा और उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए जैविक खेती को अच्छा विकल्प बताया है। सरकार को चाहिए कि वह जैविक कृषि को बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयासों को न केवल गति दे, बल्कि जैविक खाद इस्तेमाल करने वाले किसानों को प्रोत्साहित भी करना होगा। अन्यथा उत्पादन बढ़ाने के सारे प्रयास बेअसर साबित हो जाएंगे।

(रा.प., 28.04.12)

निवेशक शिक्षा

शेयर बाजार नियामक संस्था (सेबी) के प्रमुख यू.के.सिन्हा का कहना है कि देश में विकास की रफ्तार धीमी होने की बात आधारहीन है। अर्थव्यवस्था में सुस्ती महज आंकड़ों के आधार पर निकाला गया मनमाना निष्कर्ष है।

उन्होंने कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है । उद्योगों का विकास हो रहा है। विदेशी निवेश बढ़ रहा है। एक साल में लोग शेयर बाजार से पांच से दस गुना तक मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने शेयर बाजार से फायदा उठाने के नुस्खे बताते हुए कहा कि शेयर बाजार में कम समय के लिए नहीं लम्बी अवधि के लिए निवेश करें। नये निवेशक शेयर बाजार में सीधा पैसा लगाने के बजाय पहले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए।

उन्होंने कहा कि कई बार विदेशी संस्थागत निवेशकों के पैसा निकालने से बाजार डांवाडोल होता है। इससे पार पाने के लिए यह जरूरी है कि बचत की मानसिकता में बदलाव आए और लोगों में निवेश की मानसिकता पैदा हो। हमें शेयर बाजार का देशी आधार पर विस्तार करना होगा। सिन्हा इन दिनों शेयर बाजार में नये निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देशव्यापी अभियान पर हैं। *(दै.भा., 02.06.12)*

मानक सेवाएं

स्कूलों की फीस के लिए बनेगा नियामक आयोग

प्रदेश में मनमर्जी की फीस और अन्य शुल्क वसूलते रहे निजी स्कूलों का फीस ढांचा अब सरकार तय करेगी। प्रस्तावित फीस व नियामक आयोग के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। यह जानकारी प्रमुख शासन सचिव (शिक्षा) ने देते हुए बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो सरकार जल्द ही नए नियामक आयोग और फीस तय करने के लिए आवश्यक मानदंडों के साथ सामने आ सकती है। शिक्षा विभाग ने तमिलनाडू की तर्ज पर प्रस्तावित नियामक आयोग को प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार ढालने का काम शुरू कर दिया है।

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इसके लिए गठित कमेटी नियम कायदे तय करेगी। प्रमुख कायदों के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया अभी फिलहाल यह आरंभिक स्थिति में है पहले इसका परीक्षण होगा फिर राज्य सरकार की मंजूरी के बाद इसे हरी झंडी मिलेगी।

(रा.प., 24.05.12 एवं 26.05.12)

वित्तीय सेवाएं

बैंक खाते के दावेदारों की तलाश

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि एक जुलाई से वे अपनी वेबसाइट और कार्यालयों में उन खाताधारकों के नाम व पते की सूचना लगाएं, जो सालों से अपने खाते में कोई लेन-देन नहीं कर रहे हैं। रिजर्व बैंक के निर्देश मिलने के बाद राज्य की बड़ी बैंकों ने ऐसे खाताधारियों की सूची बनाने के लिए अभियान शुरू किया है।

अभियान के तहत पहले चरण में ऐसे खाताधारियों के नाम तलाशे जा रहे हैं, जो 10 साल से लेन-देन नहीं कर रहे हैं, और उनके नाम से खातों में बड़ी राशि जमा है। 10 साल से ऊपर लेन-देन नहीं करने वालों के नाम पते दूसरे चरण में ढूंढे जाएंगे। सूचनापट्टों व वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाली सूची में गैर दावेदार जमा राशि के विवरण के साथ खाताधारियों के नाम व पते प्रदर्शित किए जाएंगे।

गैर दावेदारों के जिन्दा नहीं होने पर उनके वारिसों को ढूंढ़ने के लिए बैंक आम जनता की मदद की योजना बना रहा है। रिजर्व बैंक के अनुसार देशभर में विभिन्न बैंकों में इस तरह के एक करोड़ 12 लाख खाते हैं, जिनमें करीब ढ़ाई हजार करोड़ रुपए जमा हैं। *(रा.प., 20.06.12)*

उपभोक्ता फैसले

फंगस लगी काजू कतली बेची, देना होगा 4 लाख का हर्जाना

मानसरोवर निवासी मोहनलाल प्रजापत ने गोपालपुरा मोड स्थित कान्हा स्वीट्स के खिलाफ उपभोक्ता मंच जयपुर में परिवाद दर्ज किया । परिवाद में बताया गया कि उन्होंने 26 अक्टूबर, 2011 को कान्हा स्वीट्स से 2 किलो काजूकतली 1328 रुपए में खरीदी थी। दूसरे दिन दीपावली के उपलक्ष्य में घर आए मेहमानों को उन्होंने यह काजूकतली खाने को दी, तो उसका स्वाद खराब था और बदबू आ रही थी। शिकायत पर कान्हा स्वीट्स के कर्मचारी उनके घर आए और शिकायत को सही बताया। उन्होंने इसकी शिकायत जिला रसद अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को की। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट में फंगस इन्फैक्शन आया ।

सुनवाई पर मंच ने उपभोक्ता के कथन और प्रस्तुत साक्ष्यों को सही माना। जबकि कान्हा स्वीट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। मंच ने कहा कि फंगसयुक्त काजूकतली खाने योग्य नहीं होती है। मिलावटी मिठाई बेचना जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।

उपभोक्ता मंच ने अपने फैसले में कान्हा स्वीट्स पर 4 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। मंच ने इसमें से 50 हजार रुपया परिवादी मोहन लाल को देने और साढ़े तीन लाख उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा मिठाई खरीद के 1328 रुपए ब्याज सहित और पांच हजार रुपए परिवाद व्यय के रूप में भी परिवादी को अदा करने आदेश मंच ने दिए हैं।

(रा.प., 11.04.12)

बीमा कम्पनी किसान को खराब हुई फसल का मुआवजा दें

डूंगरपुर जिले के तलोराई गांव के डालजी किसान ने अपने खेत में लगाई गई फसल का बीमा जयपुर स्थित एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया से कराया था। उन्होंने समय पर इन्श्योरेन्स कम्पनी को बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान भी किया। लेकिन फसल के खराबे पर उन्होंने इन्श्योरेन्स कम्पनी से जब मुआवजा मांगा, तो कम्पनी ने मुआवजा देने से इन्कार कर दिया। इसपर उन्होंने कम्पनी के खिलाफ उपभोक्ता जिला मंच डूंगरपुर में परिवाद दायर किया। मंच ने सुनवाई के बाद उनके पक्ष में फैसला सुनाया।

इन्श्योरेन्स कम्पनी की ओर से फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दर्ज कराई गई। सुनवाई पर आयोग ने कम्पनी की ओर से दी गई दलीलों को ठीक नहीं पाया एवं जिला मंच द्वारा दिए गए फैसले को सही माना। आयोग ने माना कि जब किसान ने बीमा प्रीमियम जमा कराया है तो वह फसल के खराबे पर मुआवजा पाने का भी हकदार है। राज्य आयोग ने इस टिप्पणी के साथ कम्पनी की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया और एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया को आदेश दिया कि वह डालजी किसान को मुआवजे के तौर पर 56 हजार 800 रुपए अदा करे। साथ ही उन्हें 5000 रुपए हर्जाने स्वरूप भी दें।

(रा.प., 16.05.12)

खास समाचार

नए कार्डों से मिलेगी राशन सामग्री

प्रदेश में सितम्बर से राशन सामग्री का वितरण नए कम्प्यूटरीकृत राशनकार्डों के जरिए किया जाएगा। केरोसिन कूपन के जरिए मिलेगा। नए कार्डों का वितरण जुलाई माह से शुरू हो जाएगा। चीनी वितरण के काम में पारदर्शिता लाने के लिए बीपीएल परिवारों को चीनी वितरण कूपन के आधार पर होगा।

अब सीनियर सैकण्डरी पास और कम्प्यूटर की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को ही राशन डीलर नियुक्त किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों को विशेष नम्बर दिए जाएंगे। पिछले दिनों ये निर्णय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री परसादी लाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित जिला रसद अधिकारियों की बैठक में लिए गए हैं। *(रा.प. 28.04.12)*

फूड सेफ्टी लागू पर नहीं सुधरे हालात

प्रदेश की राजधानी में धड़ल्ले से मिलावटी सामान बेचा जा रहा है। रोकथाम के लिए जिम्मेदार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दोनों ही नाकाम साबित हो रहे हैं। यह स्थिति तो तब है जब राज्य में फूड सेफ्टी कानून लागू हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करे तो सबसे ज्यादा मिलावट दूध, दही, पनीर, मिल्क पाउडर और मावे में हो रही है।

पिछले चार साल में विभाग ने 240 मामलों में मिलावट पकड़ी। इनमें से इन वस्तुओं के ही 67 प्रकरण सामने आए। घी में भी मिलावट करने वाले पीछे नहीं हैं। घी के भी करीब 38 मामले मिलावटी मिले। सूखे मसालों में मिलावट के 35 मामले सामने आए। यह हाल तो केवल राजधानी का है प्रदेश के अन्य जिलों में स्थिति इससे भी खराब हो सकती है। *(रा.प., 08.06.12)*

केरोसिन पर मिलेगी सीधी सब्सिडी

केरोसिन पर दी जाने वाली सब्सिडी को सरकार अब सीधे उपभोक्ता को देने पर विचार कर रही है। इस बाबत राजस्थान के अलवर में हुए प्रयोग के सफल परिणामों के बाद सरकार इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूर में पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है।

पेट्रोलियम राज्यमंत्री आर.पी.एन. सिंह ने बताया कि सरकार अब इस योजना में आगे बढ़ेगी और यूआईडी कार्ड के जरिए इसे वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2011-12 के दौरान एक लाख 38 हजार 541 करोड़ रुपए की सब्सिडी पेट्रोलियम पदार्थ पर दी है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में सब्सिडी का बोझ बढ़कर एक लाख 89 हजार 605 करोड़ रुपए हो जाएगा। *(रा.प., 23.05.12)*

अब मिलेगा फोर्टिफाइड दूध

अब राज्य में लोगों को फोर्टिफाइड दूध मिलेगा। इसमें पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। केन्द्र सरकार ने इसे अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया है। केन्द्र ने दिल्ली में फोर्टिफाइड दूध का प्रायोगिक रूप से वितरण शुरू किया है। वहां पर इसके उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। इसमें मिलाए गए पौष्टिक तत्वों और बनाने की प्रक्रिया जानने के बाद राज्य सरकार ने भी प्रदेश में ऐसे दूध के वितरण में रुचि दिखाई है। दूध में मिलाए जाने वाले सभी विटामिन केन्द्र सरकार की ओर से नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। राजस्थान में यह दूध सरकारी डेयरियों के माध्यम से जनता तक पहुंचेगा।

(रा.प., 11.06.12)

स्त्रोत: रा. प.: राजस्थान पत्रिका, दै. भा.: दैनिक भास्कर, न. नु.: नफा नुकसान, दै. न.: दैनिक नवज्योति, पं.के. पंजाब केसरी

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्स: 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।